

दिनांक 02 जून, 2005

कर्नाटक सरकार
और
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
लिमिटेड
के बीच
अनुपूरक राज्य सहायता समझौता

यह समझौता दिनांक 02 जून 2005 को बैंगलोर में संपन्न हुआ:

पक्षों के बीच:

(1) **कर्नाटक के राज्यपाल**, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर के अवसंरचना विकास विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से कार्यरत, (जिन्हें यहां आगे "जीओके " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल माने जाएंगे) ; और

(2) **बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सीमित दायित्व के साथ निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय खनिजा भवन, ग्राउंड फ्लोर, #49, रेस कोर्स रोड, बैंगलोर-560 001 में स्थित है (जिन्हें यहां आगे "बीआईएएल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशित शामिल माने जाएंगे)।

जबकि:

(क) बीआईएएल और जीओके ने बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए दिनांक 20 जनवरी, 2005 को एक राज्य सहायता समझौता किया है (जिन्हें आगे "मूल राज्य सहायता समझौता" कहा गया है)।

(ख) मूल राज्य सहायता समझौते के निष्पादन की तिथि तक, पक्षों की समझ से संबंधित कुछ बिंदुओं को वर्गाकार कोष्ठकों (square brackets) और/या पादलेखों (footnotes) के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना और मूल राज्य सहायता समझौते में पहचाना जाना बाकी था। मूल राज्य सहायता समझौते के निष्पादन के बाद, इन बिंदुओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसलिए मूल राज्य सहायता समझौते के पक्ष नीचे निर्धारित नियमों और शर्तों पर मूल राज्य सहायता समझौते में संशोधन करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं इस समझौते में: "मूल राज्य सहायता समझौता" से तात्पर्य दिनांक 20 जनवरी 2005 के जीओके और बीआईएएल के बीच राज्य सहायता समझौते से है।

1.2 परिभाषित शब्दों का समावेश

1.2.1 जब तक कि कोई विपरीत संकेत न दिखाई दे, मूल राज्य सहायता समझौते में परिभाषित शब्द का इस समझौते में वही अर्थ होगा।

1.2.2 मूल राज्य सहायता समझौते में निर्धारित व्याख्या के सिद्धांत इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस समझौते में निर्धारित किए गए हों।

1.3 खंड

इस समझौते में "खंड" या "अनुसूची" का कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, इस समझौते के खंड या अनुसूची का संदर्भ है।

2. संशोधन

2.1 संशोधन

इस समझौते की तिथि से प्रभावी होकर, मूल राज्य सहायता समझौते को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा (और इस खंड 2 में खंडों और पैराग्राफों के सभी संदर्भ मूल राज्य सहायता समझौते के संबंधित खंडों और पैराग्राफों के संदर्भ होंगे, जब तक कि इस खंड 2 में अन्यथा न कहा गया हो) :

2.1.1 खंड 1.1.1 में, "आधार परियोजना लागत" (Base Project Cost) की परिभाषा को पहली पंक्ति में वर्गाकार कोष्ठक वाले भाग को संख्या "1340.40" से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, पृष्ठ 4 के निचले भाग में पादलेख 1 (footnote 1) का संदर्भ और ऐसे पादलेख में निहित पाठ विलोपित माना जाएगा।

2.1.2 खंड 1.1.1 में, "व्यावसायिक योजना" (Business Plan) की परिभाषा को वर्गाकार कोष्ठक वाले भाग को "March 03," (03 मार्च,) से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, पृष्ठ 5 के निचले भाग में पादलेख 2 का संदर्भ और ऐसे पादलेख में निहित पाठ विलोपित माना जाएगा।

2.1.3 खंड 1.1.1 में, "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" (Detailed Project Report) की परिभाषा को वर्गाकार कोष्ठक वाले भाग को "March 03," (03 मार्च,) से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, पृष्ठ 6 के निचले भाग में पादलेख 3 का संदर्भ और पादलेख 3 में निहित पाठ विलोपित माना जाएगा।

2.1.4 खंड 1.1.1 में, "वित्तीय मॉडल" (Financial Model) की परिभाषा को वर्गाकार कोष्ठक वाले भाग को "मार्च 03," से प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, पृष्ठ 7 के निचले भाग में पादलेख 4 का संदर्भ और ऐसे पादलेख में निहित पाठ विलोपित माना जाएगा।

2.1.5 खंड 3.5.1 में तीसरी पंक्ति के वर्गाकार कोष्ठक को संख्या "27.03" से प्रतिस्थापित करें। परिणामस्वरूप, पृष्ठ 17 के निचले भाग में पादलेख 5 का संदर्भ और ऐसे पादलेख में निहित पाठ विलोपित माना जाएगा।

2.1.6 अनुलग्नक 2 में, अवधि-I (Period-I) और अवधि-II (Period-II) की परिभाषाओं को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें तथा अवधि-IV (Period-IV) और वित्तीय वर्ष (Financial Year) की परिभाषाओं को निम्नानुसार सम्मिलित करें:

"अवधि" (Period) से तात्पर्य संदर्भ के अनुसार अवधि-I, अवधि-II, अवधि-III, या अवधि-IV से होगा।

"अवधि-I" (Period-I) से तात्पर्य वित्तीय समापन की तिथि से शुरू होकर उस वित्तीय वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक की निरंतर अवधि से होगा।

"अवधि-IV" (Period-IV) से तात्पर्य अवधि-III के अंतिम दिन के ठीक बाद की तिथि से शुरू होकर वैधता अवधि के अंतिम दिन समाप्त होने वाली निरंतर अवधि से होगा।

"वित्तीय वर्ष" (Financial Year) से तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर तुरंत बाद वाले मार्च के अंतिम दिन समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि से होगा।

2.1.7 इस समझौते की अनुसूची 1 मूल राज्य सहायता समझौते के अनुलग्नक 2 की अनुसूची 1 को प्रतिस्थापित करेगी।

2.1.8 इस समझौते की अनुसूची 2 मूल राज्य सहायता समझौते के अनुलग्नक 3 को प्रतिस्थापित करेगी।

2.2 निरंतर दायित्व

इस समझौते द्वारा संशोधित किए जाने को छोड़कर, मूल राज्य सहायता समझौते के प्रावधान पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेंगे।

3. विविध

3.1 शर्तों का समावेश

मूल राज्य सहायता समझौते के खंड 23.1, 23.2, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 और 37 के प्रावधानों को इस समझौते में शामिल माना जाएगा मानो वे इस समझौते में पूरी तरह से निर्धारित किए गए हों और मानो उन खंडों में "यह समझौता" का संदर्भ इस समझौते का संदर्भ हो।

3.2 प्रतियां (Counterparts)

यह समझौता कितनी भी प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, और इसका वही प्रभाव होगा मानो सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर इस समझौते की एक ही प्रति पर किए गए हों।

[पृष्ठ का शेष भाग जानबूझकर खाली छोड़ा गया है]

जिसके साक्ष्य स्वरूप जीओके और बीआईएएल ने ऊपर बताए गए अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, ऊपर सबसे पहले उल्लेख की गई तिथि को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कृते एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित

कर्नाटक के राज्यपाल

प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार के अवसंरचना ढांचा विकास विभाग
के माध्यम से कार्यरत

साक्षी का नाम एवं पता

कृते एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित

बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

साक्षी का नाम एवं पता

अनुसूची 1

अनुसूची I - वितरण अनुसूची

अनुसूची Iक - आधार वितरण अनुसूची

एसएसए (SSA) में निर्दिष्ट आधार राशि के संबंध में सांकेतिक वितरण अनुसूची निम्नानुसार है:

अवधि	आधार गारंटी के तहत देय अधिकतम राशि
अवधि-I के दौरान	₹ 97,17,00,000/- (केवल सत्तानवे करोड़ सत्रह लाख रुपये)।
अवधि-II के दौरान	₹ 211,41,00,000 (केवल दो सौ ग्यारह करोड़ इकतालीस लाख रुपये) में से अवधि-I के दौरान बीआईएएल को वितरित आधार राशि घटाकर।
अवधि-III के दौरान	₹ 272,25,00,000 (केवल दो सौ बहत्तर करोड़ पच्चीस लाख रुपये) में से अवधि-I और अवधि-II के दौरान बीआईएएल को वितरित आधार राशि घटाकर।
अवधि-IV के दौरान	₹ 272,25,00,000 (केवल दो सौ बहत्तर करोड़ पच्चीस लाख रुपये) में से अवधि-I, अवधि-II और अवधि-III के दौरान बीआईएएल को वितरित आधार राशि घटाकर।

अनुसूची Iख - आकस्मिक वितरण अनुसूची

इस गारंटी के तहत निर्दिष्ट आकस्मिक राशि के संबंध में अनंतिम वितरण अनुसूची निम्नानुसार है:

अवधि	आधार गारंटी के तहत देय अधिकतम राशि
------	------------------------------------

अवधि-I के दौरान	₹ 40,00,00,000 (केवल चालीस करोड़ रुपये) I
अवधि-II के दौरान	₹ 77,75,00,000 (केवल सततहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) में से अवधि-I के दौरान बीआईएएल को वितरित आकस्मिक राशि घटाकर
अवधि-III के दौरान	₹ 77,75,00,000 (केवल सततहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) में से अवधि-I और अवधि-II के दौरान बीआईएएल को वितरित आकस्मिक राशि घटाकर
अवधि-IV के दौरान	₹ 77,75,00,000 (केवल सततहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) में से अवधि-I, अवधि-II और अवधि-III के दौरान बीआईएएल को वितरित आकस्मिक राशि घटाकर

अनुसूची 2

अनुलग्नक 3

राज्य वित्तीय सहायता आहरण अनुसूची

बेस केस बिजनेस प्लान के आधार पर राज्य वित्तीय सहायता के आहरण की सांकेतिक अनुसूची नीचे दी गई है। वास्तविक आहरण निर्माण चरण के दौरान आवश्यकता और की गई प्रगति के अनुसार होगा।

1. आधार राशि का आहरण इक्विटी और ऋण के समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

आधार-राशि का आहरण

आहरण सं.	आहरण तिथि	राशि (मिलियन रुपये में)
1	बीआईएएल और ऋणदाताओं (Lenders) द्वारा वित्तपोषण समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर (मई 2005)	457.2

आहरण सं.	आहरण तिथि	राशि (मिलियन रुपये में)
2	प्रथम आहरण तिथि के तत्काल पश्चात वाले कैलेंडर तिमाही का पहला दिन (1 जुलाई, 2005)	141.0
3	दूसरे आहरण से तीन महीने (1 अक्टूबर, 2005)	130.8
4	तीसरे आहरण से तीन महीने (1 जनवरी, 2006)	242.8
5	चौथे आहरण से तीन महीने (1 अप्रैल, 2006)	242.6
6	पांचवें आहरण से तीन महीने (1 जुलाई, 2006)	374.4
7	छठे आहरण से तीन महीने (1 अक्टूबर, 2006)	322.2
8	सातवें आहरण से तीन महीने (1 जनवरी, 2007)	203.1
9	आठवें आहरण से तीन महीने (1 अप्रैल, 2007)	164.0
10	नौवें आहरण से तीन महीने (1 जुलाई, 2007)	192.2
11	दसवें आहरण से तीन महीने (1 अक्टूबर, 2007)	227.2
12	11वें आहरण से तीन महीने (1 जनवरी, 2008)	25.0
	कुल आधार राशि	2722.5

राज्य सहायता समझौते के खंड 3.4 और 3.5 के अध्याधीन, अधिकतम 777.5 मिलियन रुपये की सीमा के अंतर्गत **आकस्मिक राशि** का आहरण बीआईएल द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
